भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3357

24 मार्च 2021 ,को उत्तर के लिए

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निधि को खर्च किया जाना

3357. डा. सांतनु सेन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व निधि के खर्च का मद-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार किसी क्षेत्र विशेष के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व धनराशि भेजने हेतु भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के प्रबंधन को कोई अनुदेश देगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): गत पांच वर्षों के दौरान स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) द्वारा निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) राशि के व्यय का मद-वार विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रू में)

क्रम सं.	**निम्नलिखित के तहत चलाई गई सेल की सीएसआर परियोजनाएं**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21 (दिसंबर तक)**
1	शिक्षा	874	765	1203	883	188
2	स्वास्थ्य देखभाल	334	511	484	810	2810

3	आजीविका अर्जन	286	354	271	133	65
4	महिला सशक्तिकरण	90	75	47	51	12
5	पेयजल	95	144	3	47	10
6	स्वच्छता	150	47	73	28	33
7	खेलकूद	91	79	79	124	35
8	कला और संस्कृति	202	112	539	352	41
9	ग्रामीण विकास	268	207	184	156	248
10	सामाजिक सुरक्षा (वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन)	26	33	35	33	17
11	पर्यावरण संधारणीयता	368	220	162	105	2
12	कार्मिको का क्षमता निर्माण	121	23	38	34	18
कुल		**2905**	**2570**	**3118**	**2756**	**3479**

(ख) और (ग): सीएसआर राशि का व्यय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अधीन प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है।

******